भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1078

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-अनुमतिप्राप्त योजकों पर प्रतिबंध

†1078. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रहीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि वैश्विक खाद्य नियामकों (अमेरिकी एफडीए और यूरोपीय संघ ईएफएसए सहित) ने संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के कारण टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ई171) और पोटेशियम ब्रोमेट जैसे योजकों पर प्रतिबंध लगा दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या भारत में ऐसे योजकों की अनुमति है और यदि हाँ, तो उक्त पदार्थों की निरंतर अनुमति प्रदान करने का
वैज्ञानिक आधार क्या है;
(ग) क्या भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) वर्तमान में स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनलों के साथ उक्त योजकों की समीक्षा कर रहा है और वर्तमान सुरक्षा अनुसंधान को प्रतिबिंबित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय खाद्य मानकों को अद्यतन करने हेतु एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "संभावित कैंसरकारी" के रूप में वर्गीकृत 43 सहित यूरोपीय संघ (ईयू) की तुलना में पाँच गुना अधिक खाद्य योजकों की भारत में अनुमति है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) 'एहतियाती सिद्धांत' को कब तक अपनाया जाएगा और निषिद्ध पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो सुरक्षित नहीं हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) को भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने और संपूर्ण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने हेतु खाद्य पदार्थों के जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है। खाद्य

सुरक्षा मानक स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन निकायों, अर्थात् वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक सलाह पर आधारित हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोडेक्स मानकों के अनुरूप हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन, 2011 के अनुसार पोटेशियम ब्रोमेट योजक की अनुमति नहीं है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन, 2011 में स्वीकृत मान्य विनिर्माण परिपाटी (जीएमपी) योजक है, जो कोडेक्स के समतुल्य है।

(ग): उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर खाद्य योजकों, फ्लेवरिंग और प्रसंस्करण सहायक सामग्री पर वैज्ञानिक पैनल द्वारा विभिन्न योजकों के विनिर्देशों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

(घ): खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन, 2011 में अनुमत योजक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोडेक्स मानकों के अनुरूप हैं। खाद्य योजकों के लिए सामान्य मानक (जीएसएफए) कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (सीएसी) द्वारा अपनाया गया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है जिसकी स्थापना खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा संयुक्त रूप से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

(ङ): एहतियाती सिद्धांत को अपनाना उपलब्ध साक्ष्यों और वैश्विक स्तर पर किए गए जोखिम आकलनों से प्राप्त सिफारिशों पर आधारित है।

*****